

जनजातीय महिलाएं और मानवाधिकार

रेखा जौरवाल

सह आचार्य, इतिहास

गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर (राज.) 301001

भारत में भिन्न-भिन्न जाति के लोग रहते हैं तथा उनमें जनजाति भी एक जाति है। इनकी एक सभ्यता तथा संस्कृति होती है तथा एक अलग पहचान। यह पर्वतों, जंगलों, पठारों तथा गिरी जंगलों में रहते हैं तथा यह विशिष्ट सामाजिक, धार्मिक व्यतीत करते हैं। जनजाति समाज की महिलाओं की स्थिति गैर जनजातीय समाज की महिलाओं से थोड़ी भिन्न है जिस प्रकार जनजातीय समाज के जीवन में भिन्नता देखने को मिलती है। उसी प्रकार यहाँ की महिलाओं की स्थिति भी अच्छा अलग-अलग होती है। आज आधुनिक युग में जनजातीय महिलाओं तथा गैर जनजातीय सभी महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। परन्तु जनजाति समाज की महिलाएँ गैर जनजाति महिलाओं की अपेक्षा अधिक परिश्रमी होती हैं। वह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परन्तु उनकी स्थिति कमजोर होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। वह अशिक्षा। आदिवासी महिलाएँ पारिवारिक खर्चों की पूर्ति के लिए बराबर का सहयोग देती हैं। इसलिए पारिवारिक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए हम जनजातीय समाज में महिलाओं की भूमिका सहयोग तथा योगदान को नकार नहीं सकते हैं। जनजातीय समाज तथा जनजातीय महिलाओं की स्थिति पर अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं तथा अध्ययन किए हैं। तथा अध्ययन पश्चात् उनके सामने जो समस्याएँ और चुनौतियाँ सामने आई हैं उनका समाधान भी सुझाया है तथा सरकार भी जनजातीय समाज के उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं।

जनजातीय समाज में जनजातीय महिलाओं के लिए अति आवश्यक है वस्तुतः महिला के बिना किसी भी समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अर्थात् महिला को समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है तथा हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है तथा रहेगा। महिलाओं की भूमिका को समझते हुए कहा जाता है कि यदि आप घर के लड़के को पढ़ाते हैं तो केवल उस लड़के को ही पढ़ाते हैं परन्तु यदि आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार पूरे समाज को पढ़ाते हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी चाहे वह महिला जनजातीय समाज की हो या गैर जनजातीय समाज की। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की स्थिति से सम्बन्धित बहुत अध्ययन किए गए तथा आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की गई तथा महिलाओं को सशक्त करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रयास किए गए महिला आरक्षण उस मार्ग में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र संघ द्वारा सन् 1971 में महिलाओं की स्थिति पर किया गया अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि इसमें महिलाओं की स्थिति की प्रत्येक पक्ष का बहुत गहन अध्ययन किया गया था। इस प्रकार के बहुत अध्ययन किए गए और अध्ययन पश्चात् यह समाने आया कि सामान्य भारतीय नारी की स्थिति बहुत दयनीय है तो जनजातीय समाज की नारी की स्थिति तो और भी दयनीय होगी।

जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति

किसी भी समाज की बिना महिलाओं के कोई अस्तित्व नहीं होता है प्रत्येक समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा किसी भी समाज की नींव बिना महिला सहयोग के सोची भी नहीं जा सकती। अर्थात् जिस समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होगी वह समाज उतना सृदृढ़ तथा सुन्दर होगा क्योंकि महिलाएँ स्वयं को नहीं बल्कि पूरे समाज को एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ के रूप में सजा तथा संजो कर रखती हैं। जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति में विभिन्नता के होते हुए भी उनका स्तर गैर जनजातीय समाज स्तर से ऊँचा है तथा इस तथ्य को नेहरू जी ने भी माना है। तथा जनजातीय समाज के बारे में उन्होंने कहा है कि 'हम आदिवासी क्षेत्रों के मामले को दिशाहीन भटकाव की स्थिति में नहीं रहने दे सकते हैं आज की दुनिया में न यह सम्भव है न यह वांछनीय ही है परन्तु इसके साथ ही हमें इन क्षेत्रों को अति शासन के जोखिम से भी बचाना होगा हमें इन दो सीमान्तों के बीच एक मध्य मार्ग बनाकर काम करना होगा।'

जनजाति समाज में धार्मिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों से निम्न होती है पुरुष ही सभी धार्मिक कार्यों को पूरा करते हैं परन्तु महिलाएँ पूर्ण स्वतन्त्रता नृत्य, सर्गीत, मनोरंजन उत्सव में भाग लेती हैं।

जनजातीय समाज में परम्परागत पंचायतों को बहुत महत्व दिया जाता है तथा इन पंचायतों में पूर्णता से केवल पुरुषों को भाग लेने का अधिकार होता है और महिलाओं को इन पंचायतों में भाग लेने या बैठकों में जाने की कोई

स्वतन्त्रता नहीं होती है। परन्तु महिलाओं को पंचायतों की बैठकों के सामने अपनी समस्याओं तथा अपने तर्क देने का समाज है। तथा जो समाज पितृसत्तात्मक होता है उनमें पिता के गोत्र में ही विवाह करने पर निषेध है परन्तु माँ के गोत्र में कुछ पीढ़ी तक विवाह ना करने पर जोर दिया जाता है इस समाज में शाली विवाह, विधवा विवाह, देवर विवाह का प्रचलन आज भी देखा जा सकता है।

जनजातीय समाज में महिलाएँ कई संस्कारों में भाग लेती हैं जैसे महिलाओं को शमशान में जाने तथा मृतक संस्कारों में समाहित होने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। जबकि सामान्य समाज में महिलाओं को शमशान में जाने पर भी निषेध होता है। जनजातीय महिलाएँ बहुत मेहनती होती हैं वह केवल घर को ही नहीं सम्भालती हैं बल्कि खेतों के बोने से लेकर फसल काटने तक अपना पूर्व सहयोग करती हैं तथा वह घर की आमदनी को बढ़ाने के लिए बाहर राज्यों में जा कर भट्टों खदानों, गृह निर्माण कार्यों तथा रेजा आदि कार्य भी करती हैं परन्तु वह अशिक्षित होने के कारण कम वेतन पर अकुशल और दयनीय श्रमिक के तौर पर कार्य करती हैं। जनजातीय समाज में आज भी निर्धनता देखने को मिलती है जिसका मुख्य तथा कठोर कारण है इस समाज में शिक्षा की कमी इस समाज में महिलाएँ इतनी स्वतन्त्र तथा मेहनती होती हैं। परन्तु सिर्फ अशिक्षा के कारण उनकी हालत बहुत कमजोर तथा दयनीय है।

जनजातीय समाज में आज वर्तमान में भी धर्म का बहुत महत्व है। प्रत्येक समुदाय का अपना एक अलग विशिष्ट धर्म होता है। तथा उस धर्म पर उनका अटूट विश्वास होता है। आज भी वहाँ जादू टोना, बली जैसे अंधविश्वासों में पूर्ण आस्था से विश्वास करते हैं और यह केवल और केवल शिक्षा की कमी के कारण ही है। तथा प्रत्येक आदिवासी समुदाय का एक विशेष कुल देवता होता है जिसके प्रकोप से बचने के लिए वह बहुत से अंधविश्वासों को मानकर कई जादू टोना आदि का आज भी सहारा लेते हैं। जैसे समय तरक्की कर रहा है जनजातीय समाज में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है आज थोड़ा-थोड़ा ही सही परन्तु आदिवासी समाज धीरे-धीरे शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं। तथा अपने परन्तु छ बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। आज बहुत से जनजातीय समाज के लोग कई उच्च पदों पर हैं तथा उनमेंमहिलाओं की कमी है पर महिला बिल्कुल नहीं हो ऐसा नहीं है।

जनजातीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति

जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति प्रत्येक समाज प्रत्येक व्यक्ति हमेशा आर्थिक आवश्यकताओंकी पूर्ति करने में जीवन भर प्रयत्न करता रहता है समाज में भौतिक तथा आर्थिक संगठनों के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है एक सफल अर्थव्यवस्था के सहारे ही व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। मानव को जीवन को जीने के लिए तथा सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए जो भी करना पड़ता है वह अर्थव्यवस्था अर्थात् आर्थिक संगठन के अन्तर्गत ही आता है। यह कहना गलत नहीं होगा की आर्थिक कार्यों को मानव जीवन के किसी भी पक्ष से नहीं देखा जा सकता ना ही कल्पना की जा सकती है। जनजातीय लोगों के समुदाय के अधिकतर आर्थिक प्रयत्न केवल भोजन के लिए होते हैं इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था से भिन्न होती है इनकी पृथक करके अर्थव्यवस्था भौगोलिक वातावरण पर तथा प्रकृति से संघर्ष करना पड़ती है। जनजातीय समाज में पुरुष का अवसर दिया जाता है कुछ कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं तो कुछ कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। जनजाति समाज में पुरुष शिकार करते हैं तथा मछली पकड़ते हैं अर्थात् अधिक परिश्रम के सभी कार्य पुरुष को दिए जाते हैं। तथा सरल और कम मेहनत के सभी कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। महिलाएँ घर के समस्त कार्य को करती हैं परन्तु इस समाज में जनजातीय महिलाओं को शिकार करना भी सिखाया जाता है जनजातीय महिलाएँ बहुत परिश्रमी होती हैं। इसलिए वह केवल घर के कार्यों को ही नहीं पूरा करती बल्कि स्वयं तरह-तरह की सामग्री बनाकर हाट (बाजार) में उन्हें बेचने जाती हैं आज भी जनजातीय महिलाएँ कई कार्यों को पूरा करती हैं यहाँ तक की लड़कियाँ पढ़ने भी जाती हैं तथा बाद में पशुओं को चराने भी जाती तथा माँ के कार्यों में भी सहायता करती हैं। चाहे आज भी अधिकांशतः महिला द्वारा किए गए कार्यों का अनार्थिक माना जाता है। क्योंकि आधी आबादी कही जाने वाली महिलाएँ जिनके बिना परिवार अधूरा है समाज अधूरा है पूरा देश अधूरा है उन्हें आज भी अर्थशास्त्र की परिभाषा में बहुत कम जगह सम्मिलित किया जाता है। परन्तु स्त्रियाँ इतना महान और परिश्रमी होती हैं कि बिना लाभ के भी वह अपने कार्यों को तथा उत्तरदायित्वों का पूरी मेहनत से अपनी पूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बावजूद इसके कि उन्हें इस मार्ग पर चलते हुए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है परन्तु वह हार नहीं मानती और अपने दायित्व को निभा रही हैं। इसलिए कह सकते हैं कि महिलाओं का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है।

जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक स्थिति

महिलाओं का प्रत्येक देश की राजनीति में एक अलग स्थान होता है महिलाएँ राजनीति में प्राचीन समय से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। इसलिए इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि प्राचीन समय में महिलाओं की राजनीति में जितनी भागीदारी थी उतनी कभी नहीं रही वेशक राजनीति में चाणक्य, जैसे महान राजनीतिक जैसी कोई महिला सामने ना आई हो परन्तु बहुत सी महिलाओं ने राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बहुत से उदाहरण दिए हैं। वैदिक युग में भी मैत्री, अपाला घोषा आदि महिलाओं ने इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भिन्न-भिन्न क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका का प्रदर्शन किया है। तथा आज भी कर रही हैं जनजातीय महिला में ऐसे नाम बहुत

कम ऐसा नहीं है। परन्तु एक सत्य यह भी है कि इतने उदाहरणों के होते हुए भी आज भी महिलाओं में राजनीतिक चेतना का अभाव है परन्तु जनजातीय समाज में जो समुदाय मातृसत्तात्मक है वहाँ महिलाओं की राजनीति में भागीदारी देखने को मिलती है। यदि देखा जाए तो 33 प्रतिशत सामान्य समाज में भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत कम है तो जनजातीय महिलाओं की क्या होगी। परन्तु राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार समय-समय पर उनके लिए योजनाएँ आरम्भ कर रही है। तथा यह एक सफल प्रयास है तथा इसमें महिलाओं का राजनीति को आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है परन्तु सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ तथा आरक्षण के द्वारा ही महिलाओं की राजनीति में भागीदारी नहीं बढ़ेगी इसके लिए उन्हें स्वयं आगे आना पड़ेगा तथा अपने अधिकारों को समझना होगा शिक्षा प्राप्त करना चाहे वह सामान्य बारी हो या जनजातीय महिला तभी राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी।

जनजातीय समाज में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पहले ना के बराबर थी तथा कहीं-कहीं तो बिल्कुल नहीं थी परन्तु स्वतन्त्रता के बाद लोकतन्त्र आया तो जनजातीय महिलाओं में भी राजनीतिक चेतना आई तथा जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय महिलाओं ने भी राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर दिया पहले परम्परागत पंचायतों में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था तथा पुरुषों का ही नहीं पंचायतों में वर्चस्व होता था परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लोकतन्त्र का विकास हुआ तो अब जनजातीय समाज में भी परिवर्तन हुआ है। तथा अब परम्परागत पंचायतें भी अपने पुराने रीति रिवाजों को त्याग के नए ढंग से पंचायतों में सदस्यों का चुनाव नए ढंग से करती हैं। जिनमें महिलाओं को भी राजनीति में प्रवेश करने का पूरा अवसर दिया जाता है। और आज जनजातीय समाज में भी महिलाएँ अपनी सक्रिय तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं परन्तु जनजातीय महिलाओं की राजनीति में बहुत कम गिनती है क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव है जो राजनीति में उनके पिछड़े होने का मुख्य कारण है। परन्तु वह अब धीरे-धीरे शिक्षा ग्रहण कर रही है तथा महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है।

जनजातीय महिला हो या सामान्य वर्ग की महिला अभी भी वह राजनीतिक रूप से पूर्ण सशक्त नहीं हुई है क्योंकि अभी महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें बहुत प्रयास करने हैं तथा वह प्रयास भी कर रही हैं। तथा वह दिन दूर नहीं जिस दिन वह प्रत्येक क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में अपनी विजय का परचम लहरा देगी। जब आधी आबादी यानि महिलाओं को कमजोर नहीं बल्कि पुरुषों के समक्ष खड़े होने का पूर्ण अधिकार होगा तथा वह पूर्णरूप से सशक्त हो जाएगी।

जनजातीय महिलाएँ तथा मानवाधिकार

भारत में महिला स्थिति बहुत दयनीय है चाहे वह सामान्य वर्ग की महिला हो या जनजातीय महिला हो। तथा सरकार की हमेशा यह कोशिश रहती है कि कैसे उन्हें सशक्त बनाया जाए जिसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं तथा कर रही है। ऐसा मानव अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा प्रत्येक मानव को उसके अधिकार मिलते हैं। मानव अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाता है। उसके साथ लिंग, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तथा मानव संरक्षण के लिए योजनाओं, कानूनों को लागू करने में सहायता करता है। तथा 10 दिसम्बर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अधिकार घोषणा पत्र मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

संविधान में स्त्री पुरुष सबको समान दर्जा दिया गया है। तथा संविधान के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 16, 19, 164, 243, 244, 275, 330, 332, 334, 335, 338, 339, 340, तथा 342 में जनजातियों के संरक्षण के उपलब्ध में योजनाएँ तथा कानूनी संरक्षण के बारे में बताया गया है। तथा 73वें संविधानिक संशोधन तो महिलाओं चाहे वह सामान्य हो या जनजातीय सभी के लिए वरदान के रूप में सामने आया है। मानव अधिकारों के कारण आज प्रत्येक मनुष्य की संरक्षण हेतु नीति, कानून, योजनाएँ है परन्तु यह एक तथ्य है कि महिला वर्ग के उत्थान में मानव अधिकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब बस आवश्यकता है। कि महिलाएँ स्वयं आगे आकर खुद को सशक्त बनाए तथा जनजातीय समाज की महिलाएँ भी अब शिक्षा प्राप्त कर रही हैं तथा अब उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति में सुधार हो रहा है। तथा मानव अधिकारों के द्वारा प्रत्येक महिला को आगे आने के सुअवसर मिल रहे हैं और आज वह खुद को सुरक्षित कर रही है तथा शोषण के विरुद्ध आवाज उठा रही है।

सहायक ग्रन्थ

1. अंजु दुआ जैमिनी, हक गढ़ती औरत, कल्याण शिक्षा परिषद्, 2011
2. डॉ. चन्द्रभान बोयर, निर्मिक, महात्मा फूले प्रतिभा संशोधन अकादमी, 2013
3. आदिवासी महिलाओं का शैक्षणिक एवम् सामाजिक, आर्थिक अध्ययन, क्लासिक पब्लिशिंग कम्पनी, 2007

4. रेशमा खतरखो, जनजातीय महिलाएँ – सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक पर्यावरण के सन्दर्भ में, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, 2006

5. सुधारानी श्री वास्तव – श्रीमती आशा श्रीवास्तव, महिला शोषण और मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, 2004

पत्रिकाएँ – पत्र :

- पत्रिका
- योजना
- कुरुक्षेत्र
- पंचायत संदेश
- चाणक्य
- समाचार पत्र
- हिन्दुस्तान, हिन्दू नव भारत टाइम, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर